चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 17.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 17.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 17.09.2025 को यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर स्वच्छता ही सेवा 2025 के कार्यक्रम में माननीय प्रभारी मंत्री चित्रकूट माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार श्री मनोहर लाल जी (मनु कोरी) जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव, पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अमृतपाल कौर, अध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक चित्रकूट बांदा श्री पंकज अग्रवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कर्वी श्री नरेंद्र गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र कोटार्य, पूर्व मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश खरे, ब्लॉक प्रमुख मानिकपुर श्री अरविंद मिश्रा, ब्लाक प्रमुख पहाड़ी श्री सुशील द्विवेदी, जिला महामंत्री श्री आलोक पांडे, जिला महामंत्री श्री मनोज तिवारी, भाजपा नेता श्री विकास मिश्रा हीरो, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री दिव्या त्रिपाठी, राजेश्वरी, माया, भाजपा नेता श्री सुरेश अनुरागी, पूर्व ग्राम प्रधान लवलेश, अग्रणी जिला प्रबंधक इंडियन बैंक श्री अनुराग शर्मा, जिला विकास अधिकारी श्री सतपाल यादव सहित अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में चित्रकूट धाम कर्वी रेलवे स्टेशन पर सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश को स्वच्छ बनाया जा सके इस उद्देश्य के साथ पूरे देश प्रदेश में सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है । माननीय मंत्री जी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पर उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को शपथ दिलाया गया।

(4). आज दिनांक 17.09.2025 को विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में धार्मिक श्रद्धा एवं उत्साह के भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा अर्चना कर परिवहन शाखा एवं शस्त्रों की पूजा-अर्चना की गयी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने भगवान विश्वकर्मा के समक्ष समस्त पुलिस बल के उत्तम स्वास्थ्य, कार्यकुशलता एवं जनपद में शांति, समृद्धि व सौहार्द कायम रहने की कामना की। पूजन-अर्चन के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को विश्व के प्रथम अभियंता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने सृष्टि को अपने कौशल से आकार दिया। पुलिस विभाग में प्रयुक्त वाहन, उपकरण एवं शस्त्र हमारे कार्य को सुचारु रूप से संपन्न करने के प्रमुख साधन हैं। इन साधनों की नियमित देखरेख एवं सम्मान से न केवल कार्यकुशलता बढ़ती है बल्कि अनुशासन व आत्मविश्वास भी विकसित होता है।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी लाइन श्री यामीन अहमद, पुलिस उपाधीक्षक प्रज्ञान श्री अजेय शर्मा , प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार सिंह, परिवहन शाखा प्रभारी श्री रामसिंह एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

5. पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में गुमशुदा/अपहृतों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में थाना मऊ पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बालक को सकुशल बरामद कर बालक के पिता को सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.09.2025 को श्री धनराज पुत्र रामफल निवासी गढवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में प्रार्थना पत्र देते हुये अवगत कराया गया कि दिनांक 16.09.2025 को उनका पुत्र वीरेन्द्र कुमार घर से स्कूल जाने के लिये निकला था किन्तू वापस नही आया। स्कूल जाकर पता किया तो अध्यापकों द्वारा बताया गया कि वह स्कूल आया ही नही था। सूचना पर तत्काल उ0नि0 सूबेदार बिन्द मय

हमराह आरक्षी शुभम त्रिपाठी, म0 आरक्षी रेखा पाल द्वारा खोजबीन कर बालक को बरामद कर उसके पिता धनराज को सुपुर्द किया।पिता द्वारा अपने पुत्र से मिलने पर अत्यंत प्रसन्न होकर थाना मऊ पुलिस को बार-बार धन्यवाद दिया।

6. पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में थाना भरतकूप पुलिस टीम ने चोरी की योजना बना रहे 03 अपराधियों को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद छुरा लोहे का, 05 अदद रस्सी के टुकड़े व 01 अदद बोलेरो गाडी नम्बर UP 71 P 0469 रंग सफेद के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

(i).कमल गुप्ता पुत्र बाबू निवासी ग्राम शाखा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर

(ii).भूरा शाह पुत्र इदरिश निवासी ग्राम सिमौर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर

(iii).महताब अहमद पुत्र मो0 सईद निवासी ग्राम सिमौर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर

बरामदगीः-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर

02 अदद जिंदा कारतूस

01 अदद छुरा लोहे का

05 अदद रस्सी के टुकड़े

01 अदद बोलेरो गाडी नम्बर UP 71 P 0469 रंग सफेद बोर

गिरफ्तारी का स्थान,समय,दिनाँक-

सेहरा मोड़ थाना भरतकूप, 22.45 बजे, 16.09.2025

अपराधिक इतिहास-

1. कमल गुप्ता पुत्र बाबू नि0 ग्राम शाखा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर

(i) मु0अ0स0 471/2022 धारा 380,411,413 भादवि थाना विसण्डा जनपद बांदा

(ii) मु0अ0स0 12/23 धारा 379,411,413 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद फतहेपुर

(iii) मु0अ0स0 208/04 थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर

(iv) मु0अ0स0 384/04 कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर

(v) मु0अ0स0 158/2025 धारा 313 बी.एन.एस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

2. भूरा शाह पुत्र इदरिश नि0 ग्राम सिमौर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर

(i) मु0अ0स0 09/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर

(ii) मु0अ0स0 279/17 धारा 41,411,413 भादवि व 11 पशु क्रूरता निवारण अधियनियम थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर

(iii) मु0अ0स0 158/2025 धारा 313 बी.एन.एस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

3.महताब अहमद पुत्र मो0 सईद नि0ग्राम सिमौर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर

(i) मु0अ0स0 471/2022 धारा 380,411,413 भादवि थाना विसण्डा जनपद बांदा

(ii) मु0अ0स0 158/2025 धारा 313 बी.एन.एस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.09.2025 को उ0नि0 बलवन्त यादव मय हमराहीगण तलाश वाँछित अभियुक्त व रोकथाम जुर्म जरायम में रवाना होकर कस्बा भरतकूप से ग्राम टिटिहरा की तरफ जा रहे थे कि मुखविर ने सूचना दी कि सेहरा मोड पर एक सदिग्ध गाड़ी बोलेरो सफेद रंग न0 UP 71 P 0469 खडी हैं, जिसमें कुछ सदिग्ध व्यक्ति बैठे है और आपस में बात कर रहे है कि ग्राम छटन के पुरवा में लोग अपनी जानवर भेड़, बकरी आदि घर के बाहर बाधते है। पूरी तरफ से रेकी कर ली गयी है । आज छटन के पुरवा में जब सब लोग सो जाये तब वहाँ से घर के बाहर बधी बकरियो को खोलकर उनके पैर बांधकर गाडी में डाल लेगे यदि कोई शोर-शराबा होता है तो गाँव वालो को तमंचा व छुरा दिखा कर वहाँ से भाग लेगे। इस समय थाना भरतकूप क्षेत्र में वैसे ही आय दिन चोरो व बदमाशो की सूचना मिलती रहती है, जिससे जनता में भय व्याप्त है थाना भरतकूप पुलिस द्वारा मुखवीर के सूचना पर यकीन करते हुये बताये स्थान पर पहुंचे मुखविर खास ने सेहरा मोड से 200 मीटर गाडी पहले रोकवाकर गाडी में से ही इशारा कर बताया कि साहब सामने जो बोलेरो गाडी रंग सफेद खडी है इसी में कुछ संदिग्ध व्यक्ति है जो आज रात में ग्राम छटन के पुरवा में भेड बकरी के चोरी करने की योजना बना रहे है और मुखविर चला गया । थाना पुलिस छिपते छिपाते अन्धेरे का फायदा उठाकर गाडी के नजदीक पहुँचे और उसमें बैठे व्यक्तियो को आपस में वार्ता करते हुए सुना तो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि और अधिक रात्रि होने पर ग्राम छटन के पुरवा के लोगो के सो जाने पर उनके घर के बाहर बंधी भेड बकरियो को खोलकर और रस्सी से उनके पैर बांधकर इसी गाडी में डालकर ले चलेगे। और फिर उन्हे बाजार में बेच देगे। उसमें से एक व्यक्ति बोला कि यदि कोई शोर शराबा होता है तो मै अपने तमंचे से फायर कर दूंगा। तथा दूसरा व्यक्ति बोला कि मै भी छुरा दिखाकर लोगो को डरा दूंगा। पुलिस को पूर्ण यकीन हो गया कि गाडी में बैठे संदिग्ध व्यक्तियो के पास नाजायज असलहा व छुरा है और ये लोग ग्राम छटन के पुरवा में चोरी के उद्देश्य से आये है। पुलिस द्वारा सिखलिये हुए तरीके से आवश्यक बल प्रयोग कर गाडी में बैठे तीनों व्यक्तियो को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम कमल गुप्ता पुत्र बाबू गुप्ता नि0 ग्राम शाखा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर हाल पता ग्राम सकेटी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर उम्र 45 वर्ष बताया। जिससे पैन्ट में खोसा हुआ एक अदद तमंचा 315 बोर तथा तमंचे में 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ तथा पहने पैन्ट के जेब से 210 रूपये बरामद हुआ। पकडे गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम भूरा शाह पुत्र इदरिश नि0 ग्राम सिमौर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर उम्र 28 वर्ष बताया हाथ में एक छुरा अदद व जेब से 350 रूपये बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति चालक से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम महताब अहमद पुत्र मोहम्मद सईद निवासी ग्राम सिमौर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर उम्र 38 वर्ष बताया । मौके से बरामद बोलेरो गाड़ी न0 UP 71 P 0469 रंग सफेद की तलाशी की तो उसमें बरामद गाड़ी से पीछे की तरफ 05 अदद रस्सी के टुकड़े बरामद हुये । पकडे गये अभियुक्तों से बरामद रस्सी के टुकडे और यहाँ सून सान जगह पर खडे होने के बारे में पूछा गया तो सभी अभियुक्तों ने बताया कि साहब हम तीनों लोग गाडी से धूम कर गांव गांव जाकर रेकी करते है कि किस गाँव में भेड बकरी व या अन्य कोई जानवर घर के बाहर व सड़क के किनारे बधा हो और उसके घर वाले अन्दर सो रहे हो तो रेकी करने के बाद हम तीनो लोग घर के बाहर बधी भेड बकरियो को खोलकर व इसी छुरे से रस्सी काटकर इसी बरामद रस्सियो से बाधकर गाडी में डालकर ले जाते है और उन्हे बाजारो में बेच देते है। हम तीनो लोग कल से ग्राम छटन के पुरवा में रेकी किये थे कि यहाँ के लोग अपने जानवर घर के बाहर /सड़क के किनारे बाधकर घर में सो जाते है। साहब हम लोग आज छटन के पुरवा में चोरी के उद्देश्य से आये थे । हम तीनो लोग और अधिक रात्रि होने का इन्तजार कर रहे थे कि आपने पकड लिया। पकड़े गये व्यक्तियो से बरामद बोलेरो गाडी न0 UP 71 P 0469 के कागजात तलब किये तो नही दिखा सके। पकडे गये व्यक्तियो में से व्यक्ति कमल गुप्ता ने बताया कि साहब यह वोलेरो गाडी मेरे नाम से है। हम इसे चोरी करने में प्रयोग करते है । इसी से चुराये हुये जानवर ले जाते है । बरामद बुलेरो गाडी के नम्बर ई चालान एप पर चेक किया गया तो बरामद बोलेरो गाडी UP 71 P 0469 कमल गुप्ता

पुत्र बाबू गुप्ता नि0 सुकेटी गाजीपुर फतेहपुर के नाम से ज्ञात हुआ जिसका इन्जन नं0 GHCHE10221 व चेचिस नं0 C5E32673 है। बरामद बोलेरो गाडी के कोई कागजात ना होने पर धारा 207 एम.वीएक्ट में सीज किया गया। पकडे गये तीनो अभियुक्तो को जुर्म धारा 313 B.N.S व 3/25 , 4/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराते हुये समय करीब 22.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। तथा जुर्म स्वीकार एवं बरामदगी के आधार पर थाना भरतकूप में मु0अ0स0 158/2025 धारा 313 बी.एन.एस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली थाना भरतकूप की पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री बलवन्त यादव

2.आरक्षी प्रवीण पाण्डेय

3.आरक्षी शक्ति सिंह

4.आरक्षी रणवीर सिंह

5.आरक्षी चालक संदीप कुमार

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 17.09.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 42/2021 धारा 302 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त ज्ञानबाबू पुत्र शिवशंकर द्विवेदी निवासी तीरमऊ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.02.2021 को वादी शिवशंकर द्विवेदी पुत्र बजरंग द्विवेदी निवासी तीरमऊ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया था कि ज्ञानबाबू द्वारा अपनी पत्नी ममता देवी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया। सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 42/2021 धारा 302 भा0द0वि0 बनाम ज्ञानबाबू उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री जयशंकर सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। दिनांक 25.02.2021 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 15.01.09 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(8). जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 17.09.2025 को थाना मऊ में उप जिलाधिकारी मऊ श्री ऋषिराम रमन एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली द्वारा वी0डि0यो0 मऊ,अध्यक्ष टाउन एरिया मऊ,एस0डी0ओ0 विद्युत मऊ व थाना क्षेत्र के समस्त गांव से आए दुर्गा पूजा स्थापना स्थल के आयोजक, पदाधिकारीगण,रामलीला कार्यक्रम के आयोजक,विजयदशमी के आयोजक व अन्य सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ आगामी नवदुर्गा पूजा दशहरा भरत मिलाप, मूर्ति विसर्जन के संबंध में पीस कमेटी की बैठक की गई। जिसमें सभी उपस्थित अधिकारी गण द्वारा त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में बताया गया जनता के द्वारा विद्युत व सफाई के कुछ बातें उठाई गई, जिसे संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा ठीक कराए जाने का आश्वाशन दिया गया तथा अपना फोन नंबर नोट कराया गया और यह भी कहा गया कि यदि कोई आवश्यकता हो तो आप लिखित प्रत्यावेदन या फोन पर

कंप्लेंट कर सकते हैं। जिससे उसका निराकरण किया जाएगा। उपस्थित समस्त सदस्यों से भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने की अपील की गयी तथा शासन के दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में बताया गया।